कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फोरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून। संख्या 1543/ 1जी–FP/UK/ROAD/9811/2015 देहरादूनः दिनांक:26 नवंबर, 2015

सेवा में,

अपर सचिव, वन उत्तराखण्ड शासन

# विषयः—जनपत्त चमोली में मैखोली से नलगांव—लखोड़ी वासीसेम मोटर मार्ग निमरिंग हेतु — 2.152 है0 वन भूमि हस्तांतरण FP/UK/RC 7/9811/2015

महो दय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है जिसकी हार्ड कॉपी आवश्यक ्यव्रेत्तर कार्यवाही हेतु संलग्न कर विशेष पत्रवाहक के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है। प्रस्ताव में प्रतत है0 50 से अधिक अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण सहमति की दशा में प्रस्ताव पर सैद्वांतिक राजि के हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

(एस0टी0एस0लेप्चा) अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संलग्नकः उपरोक्त ुसार

संख्या : / 1जी–FP/UK/ROAD/9811/2015 तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः

- 1. प्रमुख 👘 ांरक्षक, उत्तराखण्ड।
- मुख्य द स्क्रिक, वन्यजीव, देहरादून।
- वन संस्कर, निदेशक, नंदादेवी जैवमण्डल आरक्षिति, गोपेश्वर।
- 4. अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग / पी.एम.जी.एस.वाई / राजस्व, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून |
- 5. जिलाधित थी, चमोली।
- प्रभागीय वन्यजीव प्रभाग।
- 7. अधिशा भियंता, नि०ख०, लो०नि०वि, गैरसैंण।

(एस0टी0एस0लेप्चा) अपर प्रमुखा वन संरक्षक

एवं नोडल अधिकारी

### भाग IV

(नोडल अिजारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा

भरे जाने के लिए)

परियोजना का जामः

जनपद चमोली में मैखोली से नलगांव-लखेड़ी वासीसेम मोटर मार्ग निर्माण हेतु -2.152 हैo का भूमि हस्तांतरण FP/UK/ROAD/9811/2015

1. टिप्पणी अाथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्ताल पाय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्या टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त ोजना हेतु केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग में 2.152 है0 पंचायती वन भूमि का हस्तांतरण प्रस्तावित है ि ं अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु उपरोक्त वन भूमि का सम्पि ित्तेना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग तथा वन संरक्षक, निदेशक, नंदर्श ैवमण्डल आरक्षिति, गोपेश्वर द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की है। अतः जनहित में, प्रत्य में प्रति है० 50 से अधिक अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण प्रस्ताव पर सैद्वांतिक स्वीकृं ेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षरः

नाम व पदनामः (एस0टी0एस0लेप्चा भावसे) अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण

एवं नोडल अधिकारी उत्तर माडल अधिकारी अपर प्रमुख वन सरक्षक एव माडल अधिकारी अपर प्रमुख वन सरक्षक पिदेशालय, उत्तराखण्ड सरकारी मोहर: वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण पिदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून

तिथि : 25/11/2015स्थानः देहर एस.एस. रसाईली, निदेशक⁄वन संरक्षक नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर द्वारा दिनांक 03.11.2015 को जनपद चमोली के अन्तर्गत प्रस्तावित मैखोली से नलगांव—लखेड़ी वासीसेम मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.152 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर निरीक्षण आख्या —

उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 03.11.2015 को किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री सुरेन्द्र लाल, उप प्रभागीय वनाधिकारी, गौचर, उप प्रभाग एवं श्री प्रताप सिंह बुटोला, उप वन क्षेत्रााधिकारी, लोहवा रेंज साथ में रहे। मोटर मार्ग के स्थलीय निरीक्षण से पहले मार्ग का मानचित्र एवं उससे लाभान्वित होने वाली बसावट, स्कूल, हॉस्पिटल आदि का अध्ययन किया गया–

#### वैकल्पिक संरेखण का निरीक्षणः-

- 1. इस संरेखण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या अधिक है।
- 2. इस संरेखण में अधिक संख्या में बांज वृक्षों का पातन हो रहा है।
- 3. इस संरेखण में अधिक वन भूमि प्रभावित हो रही है।
- 4. इस संरेखण में लाभान्वित होने वाली बसावट कम है।

### प्रस्तावित संरेखण का निरीक्षणः-

- 1. वैकल्पिक संरेखण की तुलना में इस संरेखण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या कम है।
- 2. यह संरेखण भू-वैज्ञानिक दृष्टि से भी उचित है।
- 3. इस संरेखण से लाभान्वित होने वाली बसावट वैकल्पिक संरेखण की तुलना में अधिक है।

निरीक्षण के दौरान मैखोली से नलगॉव—लखेड़ी वासीसेम मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित संरेखण में बांज के 105 वृक्ष एवं अन्य प्रजातियों के 343 वृक्षों सहित कुल 448 वृक्ष प्रभावित होना पाया गया।

अतः प्रस्तावित संरेखण को स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त उपयुक्त पाया गया तथा निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश के साथ संस्तुति की जाती है।

- मोटर मार्ग निर्माण के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के किसी भी प्राविधानों का उल्लंघन न होने पाये।
- मोटर मार्ग निर्माण के लिये पातन हेतु चिन्हित होने पर भी आवश्यकतानुसार ही वृक्षों का पातन किया जाय और इस बात का ध्यान रखा जाय कि किसी अन्य वृक्ष को किसी भी प्रकार से क्षति न पहुंचने पाये।

- मोटर मार्ग निर्माण के दौरान उत्सर्जित मिट्टी एवं अन्य मलवे को निर्धारित मक डिस्पोज क्षेत्र में ही निस्तारित किया जाय।
- इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि वन अग्निकाल के दौरान आसपास के वन क्षेत्र में वनाग्नि दुर्घटना घटित न होने पाये।
- 5. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि मोटर मार्ग निर्माण हेतु रखे गये मजदूरों द्वारा किसी भी वन्यजीवों का आखेट न होने पाये। ऐसा होने पर कार्यदायी संस्था के सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्व कार्यवाही की जा सकती है।

**(एस.एस. रसाईली)** निदेशक / वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्ब, गोपेश्वर।

 पत्रांक
 1622
 12-1
 दिनांकित।
 4/1/15

 प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फोरेस्ट कॉलोनी देहरादून।

2:- उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

3:- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० गैरसैंण।

**(एस.एस. रसाईली)** निदेशक / वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

### भाग-3

# (सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

जनपद चमोली के अन्तर्गत प्रस्तावित मैखोली से नलगांव—लखेड़ी वासीसेम मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.152 है0 वन भूमि हस्तान्तरण

14	स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हाँ / नही) यदि हाँ तो निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें। क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग—ख	हॉ
	में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हॉ
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	इस प्रस्तावित मोटर मार्ग का निरीक्षण दि0 03.11.2015 को किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री सुरेन्द्र लाल, उप प्रभागीय वनाधिकारी, गौचर, उप प्रभाग एवं श्री प्रताप सिंह बुटोला, उप वन क्षेत्रााधिकारी, लोहवा रेंज मौके पर उपस्थित थे। स्थलीय निरीक्षण के दौरान प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों को बचाने एवं उनकी संख्या न्यून करने के उद्देश्य से मौके पर अन्य वैकल्पिक संरेखण उपयुक्त नहीं पाया गया। प्रस्ताव में संलग्न भारत सरकार के प्रपन्न भाग–2 में उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग द्वारा दी गयी टिप्पणी से अधोहस्ताक्षरी सहमत हैं। अतः उक्त वर्णित मोटर मार्ग निर्माण के लिए वन भूमि हस्तान्तरण की संस्तुति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि निर्माण कार्य से प्रभावित वन भूमि के अतिरिक्त किसी प्रकार की अन्य वन भूमि एवं स्थानीय वृक्ष प्रभावित न होने पाये, तथा निर्माण के दौरान उत्सर्जित मलवे का निस्तारण चयनित स्थलों पर सावधानी पूर्वक किया जाय।

**(एस.एस. रसाईली)** निदेशक / वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

### भाग-2

05

# (संबधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

1. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति —	नलगाँव– लखेडी–वासीसेम
(i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र	नितनाये लखडा-वासासम
(i) जिला	उत्तराखण्ड
	चमोली
(iii) जिला वन प्रभाग	केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर
(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र	2.152
2. पूर्वक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थितिः	वन पंचायती भूमि
3. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौराः	संलग्न।
(i) वन का प्रकार	वन पंचायती
(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व	. 5
(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना	संलग्न ।
(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा	संलग्न।
4. भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भूक्षरण की संभावना कम है।
5. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :	2.00 किमी0
6. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :	नहीं।
(i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा :	गुलदार, हिमालयी भालू, सेही, शूकर, मार्टेन, 250 से अधिक पक्षी प्रजातियाँ आदि।
(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)	नहीं।
iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, डाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की नीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और गुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)	नहीं
iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी ालियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली परतावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, ाो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका—टिप्पणियों उपाबद्ध की नाएं)	नहीं ।
v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के बतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे	गुलदार, हिमालयी भालू, सेही, शूकर, मार्टेन, 250 से अधिक पक्षी प्रजातियॉ आदि।

7. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें)	नहीं
8. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :	निम्नॉनुसार
(i) क्या भाग— 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है।	न्यूनतम है।
(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।	याचित भूमि न्यूनतम है।
<ol> <li>किए गए अतिकमण के ब्यौरे :</li> <li>(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिकमण में किसी कार्य को किया गया है (हां / नहीं)</li> </ol>	नहीं ।
(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरूद्ध की गई कार्यवाही	नहीं।
(iii) क्या अतिकमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां / नहीं)	लागू नहीं।
10. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :	संलग्न है।
<ul><li>(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति।</li></ul>	सिविल सोयम भूमि
(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण थेन के पिए प्राप्तन कि न के र	सिविल सोयम भूमि
क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे व्यौरे दें।	
(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन	संलग्न ।
दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न है।	
•(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)।	संलग्न ।
(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय :	रू० 7,19,420.00
(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण–पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)।	संलग्न।
11. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)।	संलग्न।
12. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों	वन भूमि हस्तान्तरण की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षेर नाम अर्स्तक केदारनाय कर सुविधुक्रमा जोवेश्वर 0

1 5

स्थानः

10

तारीखः

#### SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF

(For forest land to be diverted under Forest Conservation Act, 1980)

A proposal has been received by this office from PWD. Gairsain for diversion of 2.152 Ha. of Forest land under Forest Conservation Act, 1980 for non-forestry purpose. The project envisages transfer of Forest land of Van Panchayat for Motor road from Maikholi to Nalgaon Lakheri Wasisem I have carried out the site inspection of the land required on date

Upon inspection of the site, the following has come to light:

1. It is found that the land required by the user agency is a RF/DF//Unclassed/Protected Forest. The break-up of the land is as under:

0.00 Ha
0.00 Ha
2.152 Ha
2.152 Ha

Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna in the area. If, so the details there of. Leopard, Bear ,Marten, Barkingdeer etc.

Whether any protected archeological/ heritage site/defense establishment or any other important monuments is located in the area, if so the details there of with NOC from competent authority, if required. None.

a) The user agency has violated / has not violated the provisions of Forest (Conservation) Act, 1980 and no work has been started without proper sanction.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal: Recommended/Not Recommended/ Recommended subject to the following conditions:

1- Muck disposal plan be strictly adhered to.

2-No land other then the proposed be used for the work.

3-No other activity-other than the one for which the land transfer is being sought, be conducted without adequate necessary formalities.

ignature)

Place: Gopeshwar Date: -13-07-2015 Name: Akash Kumar Verma, IFS Designation: Deputy Conservator of Forests, Kedarnath Wild Life Division, Gopeshwar. Office Seal: उप वन संरक्षक केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग <sup>\*</sup> मोपेश्वर (चमोली)

## PART-II

#### (To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forest)

State Serial No. of proposal : UK-0545/2015

- 1. Location of the project/Scheme : Uttarakhand
  - (i) State / Union Territory : Uttarakhand
- (ii) District : Chamoli
- (iii) Forest Division : Kedarnath Wild Life Division, Gopeshwar
- (iv) Area of forest land proposed for diversion (in ha.): 2.152
- (v) Category : Road

4

Misc. Species

2. Legal status of forest land proposed for diversion :

S. No.	Division	Forest Land(ha.)	Legal Status	
1	Kedarnath Wild Life Division,Gopeshwar	2.152	Village Forest	

Division 1. : Kedarnath Wild Life Division,Gopeshwar									
3. District wise area to be diverted in the division :									
S. No. District Area(ha.)									
	1			Chamoli			2.152		
4. Details of Vegetation available in the forest land proposed for diversion :									
(ii) Density of vegetation									
	S. No.		Area(in ha	.)	Der	nsity	Eco-C	lass	
	1		2.152		0.5		Eco 5		
S. No.	Scientific Name		Local Name	(31- 60)cm.	(61- 90)cm.	(91- 120)cm.	(121- 150)cm.	(>150)cm.	
1	1 Quercus leucotricophora		Banj	46	22	11	0	0	
2	Pinus rox	burghii	burghii Chir		40	69	44	8	
3	Alnus Nej	oalensis	Uttesh	4	0	5	5	1	

5. Working plan prescription for the forest land proposed for diversion : No Data

kukat

6. Brief note on vulnerability of the forest area to erosion : Middly prone to erosion

7. Approximate distance of the proposed site for diversion from boundary of forest(in km.): 1.50

- 8. Significance of the forest land proposed for diversion from wildlife point of view :
  - (i). Details of wildlife present in and around the forest land proposed for diversion : Leopard, Marten Barking deer, Bear etc.

37

38

34

16

0

(ii). Whether forms part of national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc. : No

Whether the forest land proposed for diversion is located within eco-sensitive

#### Report Part 2

zone(ESZ) of the Protected Area notified under Wildlife(Protection) Act, 1972 (iii). (Note: In case, ESZ of a Protected Area is not notified, then, 10kms distance from boundary of the Protected Area should be treated as ESZ): No

Whether any national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, (iv). elephant corridor, wildlife migration corridor etc., is located within 1 Km. from boundary of the forest land proposed for diversion : No

Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area (v). : Yes

9.

Details of any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument located in the area, if any :

Whether any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any (i). other important monument is located in the area : No

10. Comment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed for diversion :

Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency is (i). unavoidable and bare minimum for the project : Yes

11. Details of violation(s), if any ,committed :

Whether any work in violation of the Act or guidelines issued under the Act has (i). been carried out : No

12. Whether work in violation is still in progres(Yes/No) : No Data

13. Details of compensatory afforestation scheme :

Additional information Details :

S. No.	Documents	Remarks
	NIL	

14. District Profile :

S.no	District Name	Geographical area of the district (in ha.)	Forest area of the district (in ha.)	Total forest area diverted since 1980 (in ha.)	No. of Approved Cases	Forest Land including penal C.A. (in ha.)	Progress of compensatory afforestation as on(date)	A) Forest land (in ha.)	B) Non- forest land (in ha.)
1	Chamoli	803000	514792	1031.955	247	434.32	21/09/2015	434.32	0

15. Site inspection report of the DFO/CCF/Nodal Officer highlighting important facts pertaining to the forest land :

Division Name	Circle	Site inspected By	Whether site inspected	No. of times site visited	Site inspection report	Date of visit
Kedarnath Wild Life Division,Gopeshwar	Director, Nanda Devi Biosphere Reserve, Gopeshwar	DFO	Yes	One		13/07/2015

	Report I	Part 2	
Director, Nanda Devi Biosphere Reserve, Gopeshwar	Yes	One	03-11-2015

### (Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer with(Part II, III & Part IV))

16. Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer for acceptance or otherwise of the proposal with reason :

Division	Circle	Recommendation By	Recommendation	Reason	Letter	Whether CF agreed
Kedarnath Wild Life Division,Gopeshwar	Director, Nanda Devi Biosphere Reserve, Gopeshwar	DFO	Recommended	In Public Demand		
	Director, Nanda Devi Biosphere Reserve, Gopeshwar	CF	Recommended	In Public intrest.		Yes

Print page

Report Part 1

# FORM - A

Form for seeking prior approval of Central Government under section 2 of the Forest(Conservation) Act, 1980 for Diversion of fresh forest area

## PART - I

(To be filled up by User Agency)

<u>A. General Details</u>
A- Project Details 1.
(i). Proposal No. : FP/UK/ROAD/9811/2015
(ii). Name of Project for which Forest Land is required : Construction of Makholi to Nalgaon lakheri Wasisem Motor road
(iii). Short narrative of the proposal and Project/scheme for which the forest land is required : Construction of Makholi to Nalgaon lakheri Wasisem Motor road under state sector
(iv). State : Uttarakhand
(v). Category of the Project : Road
(vi). Shape of forest land proposed to be diverted : Linear
(vii). Estimated cost of the Project(Rupees in lacs) : 75.6
(viii). Total Area of Forest Land proposed for diversion(in ha.): 2.152
(ix). Non-Forest Land required for this project(in ha.): 2.632
(x). Total period for which the forest land is proposed to be diverted(in years): NIL
A- Details of User Agency 2.
(i). Name : PWD CD GAIRSAIN
(ii). Address1 : Construction Division PWD Gairsain
(iii). Address2 : NIL
(iv). State : Uttarakhand
(v). District : Chamoli

(vi). Pin: 246428

(vii). Landmark : NIL

(viii). Email address : eecdpwdgairsain@gmail.com

(ix). Landline Telephone No. : 278533

(x). Fax No. : NIL

(xi). Mobile No.: 9897163389

(xii). Website (if any) : NIL

(xiii). Details of Proposals seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land submitted by the User Agency in the past

	List of proposal submitted in Past								
S.no	Proposal Status.	Proposal No.	Moef File No.	Area Proposed for Diversion(Ha.)	Area Diverted(Ha.)	Date of In- Principle Approval	Date of Final Approval		
NIL									

(xiv). Legal status of User Agency : State Government

```
A-
3. Details of Person Making Application
```

(i). First Name: Kishore

(ii). Middle Name: NIL

(iii). Last Name: Kumar

(iv). Gender: Male

(v). Designation: Assistant Engineer

(vi). Address 1: Construction Division PWD Gairsain

(vii). Address 2: NIL

(viii). State: Uttarakhand

(ix). District: Chamoli

(x). Tehsil: Gair Sain

(xi). Pin: 246428

(xii). Landmark: NIL

(xiii). Email Address: eecdpwdgairsain@gmail.com

(xiv). Landline Telephone No.: 278533

(xv). Fax No.: NIL

(xvi). Mobile No.: 9897163389

(xvii). Copy of documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency:

### B. Details of land required for the Project

B- Details of proposal seeking prior approval of Central Government under the Act for

1. diversion of forest land for the Project already submitted in the past

(i). Whether any proposal seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land required for the project has been submitted in the past?. : No

B-2. Details of forest land proposed to be diverted

B-2.1 Details of Divisions involved

Details of Divisions involved							
S.no	Division Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)				
1.	Kedarnath Wild Life Division,Gopeshwar	2.152	2.632				

B-2.2 Details of Districts involved

District wise breakup						
S.no	District Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)			
1.	Chamoli	2.152	2.632			

#### B-2.3 Village wise breakup

Villages wise breakup							
S.no	Village	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)				
1	Maikholi-Khinsar-Nalgaon lakhedi	2.152	2.632				

Component wise breakup							
S.no	Component	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)				
1	Road	2.152	2.6316				

# C. Maps of forest land proposed to be diverted

		Divi	ision 1. : Kedarnath Wild L	ife Division,Gope	shwar			
	(i). Area of forest land proposed to be diverted(in ha.) : 2.152							
	(ii).	.:Linear						
		(b). No. of	Segments : One					
			Segment wise d	etails				
		Segments	Segment Area(in ha.)	Kml File of Seg	gments			
		1.	2.152	Viev Viev	<u>w File</u>			
		(iii). Copy o	of Survey of India Toposh	eet indicating bo	oundary of forest land			
		proposed to	o be diverted:					
		(iv). Scanne	ed copy of the Geo-refere	enced map of the	and and			
		proposed to	o be diverted prepared b	y using GPS or To	otal Station:			
D. Justification for locating the Project in forest land and details of alternatives examined:								
(i	і). Сору	of note cor	ntaining justification for I	locating the Proj	ect in forest land: ዄ			
	ii). Whe provided		of map indicating location	on of alternative	examine is required to be			
(4	a). Copy	/ of map ind	licating location of altern	ative examined:	ECE Access			
<u>E. Emp</u>	oloyme	ent likely 1	to be generated					
(i). W	Vhether	the Project	t is likely to generate em	ployment ?: Yes				
(ii). F	Perman	ent/Regular	Employment(Number of	persons): 100				
(iii).	Tempoi	ary Employ	ment(Number of person-	days): 30000				

F.		
Displacement of Peo	nle due to the	Project, if any
<u>Bisplacement of 160</u>		<u>. rojecci n anj</u>

- (i). Whether Project involves displacement?: No
- G. Details of Cost-Benefit analysis for the Project

(i). Whether the Project requires Cost-Benefit analysis?: No

H. Status of Environmental Clearance

(i). Whether the Project requires Clearance under the Environment (Protection) Act 1986 ? :  $\ensuremath{\mathsf{No}}$ 

I. Status of Wildelife Clearance

J. Applicability of special provisions governing Scheduled Areas

(i).Whether the Project or a part thereof is located in a Scheduled Area? : No

v	<u>Status</u>	of settle land pro	ement c	of rights	under	the	Forest	<b>Rights</b>	Act,	2006	on	the
<u>n.</u>	<u>forest</u>	land pro	posed t	o be div	<u>verted</u>							

(i). Whether the process for settlement of Rights under the Forest Rights Acts 2006 on the forest land proposed to be diverted has been completed? : Yes

(a). Copy of documentry evidence in support of settlement of rights under the Forest Rights Act, 2006 on the forest land proposed to be diverted:

L. Details of land identified for Compensatory Afforestation

(i). Whether non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency?: Yes

(ii). Whether the area of non-forest land or Revenue forest land required to be provided by User Agency for raising Compensatory Afforestation is less than area of forest land proposed to be diverted ?: No


(iii). No. of districts involved for raising Compensatory Afforestation: 1

(iv). No. of patches: One

District 1. : Chamoli

(a). Village: Dadiyal Gaon

Report Part 1



Print page